# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)** मुकाम **जोधपुर**

**अपीलार्थीगण** बनाम **प्रत्यर्थीगण**

**धन्नाराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी ग्राम नाहरों की ढ़ाणी तहसील व जिला जोधपुर व अन्य (1 से 11)**

**कुम्माराम पुत्र श्री हराराम जाति जाट ग्राम नाहरों की ढ़ाणी तहसील व जिला जोधपुर व अन्य (1 से 28)**

किस्म मुकदमा **राजस्व अपील** **नं0 80/2025** सन् **2026**

| तारीख हुक्म | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर इस हुक्म तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| **23.03.2026** | पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार एवं प्रत्यर्थी अधिवक्ता श्री ईश्वर सिंह उपस्थित इस आदेश से प्रत्यर्थी संख्या–4 भीखाराम की ओर से रेस्पोडेन्ट संख्या 16 श्री चोलाराम का दिनांक 23.10.2023 को यह अपील पेश करने की तारीख 07.11.2024 से पूर्व ही देहान्त होने के कारण अपील को अबेट होना मानकर खारिज करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी दिनांक 15.07.2025 का निस्तारण किया जा रहा है।<br><br>1. प्रार्थी ने कथन किया है कि हस्तगत अपील पेश करने से पूर्व ही दिनांक 23.10.2023 को प्रत्यर्थी संख्या 16 श्री चोलाराम का देहान्त हो चुका था, परन्तु अपीलांट्स ने मृत के वारिशान को पक्षकार बनाए बिना ही मृत चोलाराम को प्रत्यर्थी संख्या 16 बनाकर अपील पेश की है, सुस्थापित विधि प्रावधानों अनुसार मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपील पेश नही की जा सकती। अगर मृतक व्यक्ति को पक्षकार बनाकर अपील पेश की जाती है तो वह अपील अबेट मानी जायेगी। अतः अपील इसी निर्णय पर खारिज की जावे। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में तस्दीक सुदा शपथ पत्र एवं श्री चौलाराम पुत्र शेराराम का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी दिनांक 20.05.2025 की प्रति पेश की है।<br>2. उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति अपीलांटस के अधिवक्ता को उपलब्ध कराने पर उन्होने जबाब पेश कर कथन किया कि अपीलांटस को अपील पेश करते समय चोलाराम की मृत्यु हो जाने के तथ्य की जानकारी नही थी। यह प्रथम जानकारी विचाराधीन प्रार्थना पत्र की प्रति प्राप्त होने पर हुई है। चोलाराम की मृत्यु की जानकारी मिलते ही अपीलांट्स ने सीपीसी की धारा 151/153 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त त्रुटि संशोधन एवं नाम कायमी हेतु पेश कर दिया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे।<br>3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण ने अपने–अपने प्रार्थना पत्रों/जबाब में अंकित कथनों को ही दोहराया है।<br>4. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा प्रार्थना पत्रों/जबाब में अंकित कथनों का अध्ययन कर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार अपीलांटस ने यह अपील राजस्थान | |

टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार, झंवर द्वारा ग्राम खेजड़ा नाडा के ख.न. 289, 290, 291 व 292 की भूमि का विभाजन करने हेतु पारित आदेश क्रंमाक भू.अ./2022/436 दिनांक 28.03.2022 को अपास्त करने हेतु दिनांक 07.11.2024 को प्रस्तुत की गई है।

उक्त अपील मीमों में अपीलांटस धन्नाराम वगैरा के अतिरिक्त गोपाराम पुत्र शेराराम, भूराराम पुत्र शेराराम के वारिशान भोमाराम वगैरा भींयाराम पुत्र शेराराम के वारिशान अमकी वगैरा है तथा अन्य कई प्रत्यर्थीगण के साथ–साथ गुणेशाराम पुत्र शेराराम, चोलाराम पुत्र शेराराम भी प्रत्यर्थीगण है। यह अपील दिनांक 07.11.2024 को पेश की गई है तथा प्रार्थी भीखाराम प्रत्यर्थी 04 के विचाराधीन प्रार्थना पत्र अनुसार, प्रत्यर्थी 16 चोलाराम का दिनांक 23.10.2023 को अर्थात् एक वर्ष से भी अधिक अवधि पूर्व में ही देहान्त हो चुका था, जिसकी पुष्टि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 20.05.2025 से होती है। दिनांक 23.10.2023 को चोलाराम की मृत्यु हो जाने के तथ्य को अपीलांट्स स्वयं ने अपने जबाब में स्वीकार किया है परन्तु दिनांक 07.11.2024 को हस्तगत अपील पेश करते समय चोलाराम की मृत्यु होने की जानकारी नहीं होने का कथन भी किया है। इस न्यायालय की सुविचारित राय में अपीलांट्स का उक्त कथन बिल्कुल ही मानने योग्य नही है कि चोलाराम की दिनांक 23.10.2023 को हुई मृत्यु की जानकारी, प्रत्यर्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 15.07.2025 की दिनांक 15.07.2025 को प्राप्त करने पर ही सर्वप्रथम हुई। जैसा कि पूर्व में ही उल्लेखित किया जा चुका है कि मृतक प्रत्यर्थी संख्या 16 चोलाराम के सगे भाई गोपाराम, भूराराम के वारिशान, भींयाराम के वारिशान अपीलांटस है तथा एक ही परिवार के सदस्य है तथा अन्य अपीलांटस भी नजदीकी रिश्तेदार है। सगा भाई/काका/ताऊ देहान्त हो जाए तथा एक वर्ष तक उन्हे देहान्त की जानकारी नही हो यह कतई मानने योग्य नहीं है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत जबाब असंतोषजनक होने से अस्वीकार है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी मृत व्यक्ति को पक्षकार नही बनाया जा सकता और न ही मृत व्यक्ति के द्वारा कोई वाद कार्यवाही की जा सकती है। चूंकि प्रकरण में गंभीर त्रुटि है तथा उभयपक्षों के तर्को से यह स्पष्ट है कि 07.11.2024 को पेश करने से पूर्व ही प्रत्यर्थी संख्या 16 चोलाराम का दिनांक 23.10.2023 को स्वर्गवास हो चुका था। अतः यह अपील विधि प्रावधानुसार अबेट हो चुकी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–151 सीपीसी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा अपील अबेट होने के आधार पर खारिज योग्य है। अतः अपील खारिज की जाती है।

5. तकनीकी आधारों पर न्याय विफल नही हो इसलिए यह आदेश देना उचित है कि अपीलार्थीगण एक माह के भीतर पुनः नवीन अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगा। RRT 2022-2023 (SUPP) 300 में भी ऐसा ही मत व्यक्त किया गया है। धारा 153 सीपीसी

के प्रावधान हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में लागू नही होते है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने बाबत निर्णय नवीन अपील पेश होने पर नियमानुसार अलग से लिया जायेगा।

6. मूल अपील खारिज होने के फलस्वरूप प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अन्य लम्बित प्रार्थना पत्र भी खारिज किए जाते है।
7. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को पुनः लौटाया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।
8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर